

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

## अधिघोषणा

सं०..... डी० एल० ए० समस्तीपुर - 1436/रा०, दिनांक 30-05-13

वैकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कुण्डल चादर नं०-3, परगना तारसों, थाना-रोसडा, थाना नं०-173, जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हायाघाट कराधीन के 42वें कि० मी० से 75वें कि० मी० तक समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम कुण्डल चादर नं०-3 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम दो वेश 7.66 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अंश 2514, 2515, 2517, 2518, 2525, 2526, 2546, 2547, 2548, 2564, 2565, 2566, 2567, 2569, 2571, 2599, 2600, 2601, 2602, 2632, 2633, 2634/6460, 2634, 2635, 2636, 2637, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2694, 2695, 2696, 2697, 2707, 2708, 2709, 2710, 2723, 2724, 2716, 2717, 2900, 2899, 2896, 2734, 2730, 2729, 2728, 2726, 4076, 2791, 4077, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4128, 4130, 4132, 4133, 4134, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4262, 4263, 4265, 4266, 4436, 4437, 4439, 4438, 4440, 4444, 4446, 4449, 4450, 4451, 4454, 4455, 4462, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476 एवं पूर्ण खेसरा सं० 2568/6589, 2568, 2898, 4129, 4264, 4441, 4442, 4443 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर : अंश खेसरा संख्या 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2525, 2526, 2546, 2547, 2548, 2557, 2564, 2565, 2566, 2567, 2569, 2571, 2599, 2600, 2601, 2602, 2632, 2633, 2634/6460, 2634, 2635, 2636, 2637, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2694, 2695, 2696, 2697, 2707, 2708, 2709, 2710, 2716, 2717, 2723, 2724 एवं पूर्ण खेसरा सं० 6589, 2568 है।

पूरब : गिलाना चादर नं० 4।

दक्षिण : अंश खेसरा संख्या 2900, 2899, 2896, 2734, 2730, 2729, 2728, 2726, 2791, 4076, 4077, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4128, 4130, 4132, 4133, 4134, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4262, 4263, 4265, 4266, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4444, 4446, 4449, 4450, 4451, 4454, 4455, 4462, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476 एवं पूर्ण खेसरा सं० 2898, 4129, 4128, 4264, 4442, 4443, 4441 है।

पश्चिम : मामुरपुर सिमाना।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाग व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल की राय से

सरकार के अवर सचिव

- 1436/STO

शापांक ...../डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना दिनांक 30-05-13

- प्रतिलिपि: (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थायी दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस क्लरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलग असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उससे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्ता, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/किशनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० : यथोक्त।

SM  
23/5/13  
सरकार के अवर सचिव